आम की प्रूनिंग का परमिट रद्द

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने **राज्य के किसानों को** [आम के वृक्षों](#) **की छँटाई/प्रूनिंग के लिये किसी भी सरकारी विभाग** से अनुमति लेने की आवश्यकता से **छूट** देने का निर्णय लिया।

- आम उत्पादक अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिये पेड़ों की छँटाई कर सकते हैं और उनकी ऊँचाई कम कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु:

- इस निर्णय से पुराने **आम के बागों के लिये** [कैनोपी प्रबंधन](#) आसान हो गया है। इससे **पुराने आम के बागों का कायाकल्प** हो जाएगा और वे नए बागों की तरह उत्पादक बन जाएंगे।
  - **पुराने बागों में नई पत्तियों और शाखाओं की वृद्धि में कमी आ गई है, जो फूल तथा फल के लिये महत्त्वपूर्ण है।**
  - इसके बजाय, **मोटी और उलझी हुई शाखाएँ अधिक हैं, जो पर्याप्त प्रकाश** को अंदर तक पहुँचने से रोकती हैं।
- **इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप कीटों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है तथा** [कीटनाशकों](#) **का प्रभावी प्रयोग जटिल हो जाता है।**
  - परिणामस्वरूप, छिड़काव किये गए कीटनाशक अक्सर पेड़ों के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचने में विफल हो जाते हैं, जिससे कीटनाशकों का उपयोग बढ़ जाता है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है।
- इन समस्याओं से निपटने के लिये **केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (Central Institute of Subtropical Horticulture- CISH)** ने आम के वृक्षों को पुनर्जीवित करने हेतु एक प्रभावी छँटाई तकनीक विकसित की है।
  - इस विधि को [तृतीयक शाखाओं की छँटाई](#) या टेबल-टॉप प्रूनिंग कहा जाता है, जिससे वृक्ष की कैनोपी खुल जाती है, उसकी ऊँचाई कम हो जाती है तथा **स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा** मिलता है।
  - इस छँटाई तकनीक (Pruning Technique) से वृक्षों से **2-3 वर्षों में ही 100 किलोग्राम तक उपज प्राप्त** की जा सकती है, साथ ही अत्यधिक **कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता भी कम हो जाती है।**

केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान (CISH)

- इसे **4 सितंबर, 1972 को** [भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु](#) के तत्त्वावधान में **केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र** के रूप में शुरू किया गया था।
- संस्थान, जिसका नाम बाद में 14 जून, 1995 को केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान (Central Institute for Subtropical Horticulture- CISH) रखा गया, **उपोष्णकटिबंधीय फलों पर अनुसंधान के सभी पहलुओं पर राष्ट्र की सेवा कर रहा है।**
- CISH का **मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश** में स्थित है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttar-pradesh-dismiss-permit-for-pruning-mango